

## आदेश

तिथि

Mar 16 2022

आदेश पर की

गई कारवाई

भिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से तिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा महेशमारा थाना वघर

खाता	प्लॉट	रकबा
24/1,3532क	492अंश	0 एकड़, 7.23 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री रुपेश कुमार	पिता	श्री ब्रजेश कुमार सिंह

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 154 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री रुपेश कुमार	पिता	श्री ब्रजेश कुमार सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि महाशय आवेदक द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं 1161 दिनांक 29.01.2021द्वारा क्रय किया गया है तथा हाता के रूप में दखलकार है। अतः दखल एवं दलील के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निबंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण वाद स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतःअपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान **100रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
MOTI LAL HEMBROM  
अंचलाधिकारी देवघर

**ATTESTED**  
*Manoj Kumar Mishra*  
08/01/22  
**Manoj Kumar Mishra**  
**NOTARY PUBLIC**  
**DEOGHAR, JHARKHAND**